संख्या 10/1-1(7)/89-रा-1

प्रेषक,

कमल पाण्डेय,
राजस्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक, लखनऊ, 9 जनवरी, 1989

विषयः- उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम विनाश तथा भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(1) के अधीन 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है, किन्तु धारा 154(2) के अधीन कतिपय परिस्थितियों में उक्त सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 154(1) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण धारा 166 के अधीन निष्प्रभावी हो जाता है और संक्रमण की विषय-वस्तु धारा 167 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

2- शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि धारा 154(2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर कतिपय मामलों में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण किया गया है, जो अधिनियम की व्यवस्था के विरूद्ध है। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही हैः-

(1) सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करने के लिए शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवेदन-पत्र देना होगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग अपने विवेकानुसार आवेदन-पत्र का प्रारूप नियत कर लेंगे।

(2) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्यक् जांचोपरान्त संलग्न विवरण की मद संख्या 1 से 9 में अपेक्षित सूचना संकलित करके उपलब्ध कराई जाएगी और भूमि की न्यूनतम आवश्यकता इंगित करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित अन्य विवरण प्राप्त किए जायेंगे।

(3) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सन्दर्भ किए जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त संलग्न विवरण की मद संख्या 10-20 में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जाएगा।

(4) सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के संक्रमण से सम्बन्धित औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के प्रशासकीय विभागों द्वारा विचारोपरान्त मत स्थिर किया जाएगा और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के राजस्व अनुभाग-1 को विचारार्थ सन्दर्भित किया जाएगा।

(5) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व अनुभाग-1 द्वारा विचारोपरान्त औचित्य पाए जाने की दशा में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण को धारा 154(2) के अधीन प्राधिकृत किए जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किए जायेंगे।

(6) संलग्न विवरण की मद संख्या 1 से 9 में अपेक्षित सूचना की शुद्धता तथा प्रमाणिकता का दायित्व शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का और मद संख्या 10 से 20 की शुद्धता तथा प्रमाणिकता का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारियों का होगा।

3- उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के विपरीत धारा 154(2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण अवैध मानते हुए भूमि राज्य सरकार में निहित समझी जाएगी और उसका अंतरिती के पक्ष में दाखिल-खारिज तथा नियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

4- विभिन्न स्तरों पर निर्दिष्ट कार्यवाही के लिए निम्नवत् समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :-

(1) भूमि के संक्रमण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर संलग्न विवरण के भाग-क में उल्लिखित मदों पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर पर सूचना एकत्र करके उपलबध करायी जाएगी और भाग-ख में उल्लिखित मदों में अपेक्षित सूचना सन्दर्भ प्राप्त होने के एक माह के भीतर संकलित करके जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भूमि के संक्रमण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम् दो माह के भीतर प्रशासकीय विभाग संस्तुति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग के विचारार्थ भेजेंगे और राजस्व विभाग सन्दर्भ प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करेंगे। यदि किसी स्तर पर प्रशासकीय विभाग/ राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव में पायी गई किसी त्रुटि को दूर करने हेतु अथवा किसी जिज्ञासा के समाधान हेतु सन्दर्भ प्रतिप्रेषित किया जाता है तो इस निमित्त व्यतीत हुई अवधि को ऊपर वर्णित काल सीमा में परिगणित नहीं किया जाएगा।

भवदीय,
कमल पाण्डेय,
सचिव।

संख्या 10(1)/1-1(7)/89-रा-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
कमल पाण्डेय,
सचिव।